राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976

(अधिनियम संख्या 34, सन् 1976)

[राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 7 मई ,1976 को प्राप्त हुई]

सेवा-मामलों एवं उनके आनुषंगिक मामलों के लिये अपील अधिकरण के गठन का उपबंध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 है।

(2) वह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय अथवा संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) ''सिविल सेवाएं'' से राजस्थान राज्य की सिविल सेवाएं तथा ऐसी अन्य सेवाएं अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में समय-समय पर अधिसूचित की जायं किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगीं:-

(i) राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा तथा राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्य;

(ii) राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी;

(iii) राजस्थान विधान सभा सचिवालय स्टाफ के कर्मचारी;

(iv) राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारी;

(ख) ''सरकार''से राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''सरकारी कर्मचारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सिविल सेवा का सदस्य हो या रह चुका हो अथवा जो राजस्थान सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर हो या रह चुका हो तथा इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो विदेश सेवा में हो अथवा जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप में किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण को सौंप दी गई हों तथा इसमें स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण में सेवारत कोई ऐसा व्यक्ति , जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप में राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है अथवा संविदा पर सेवारत व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जो सरकारी सेवा से अन्य कहीं सेवानिवृत्त हो गया हो और राजस्थान सरकार के अधीन पुनः नियोजित किया गया हो, भी सम्मिलित है किन्तु इसमें भारत संघ अथवा किसी राज्य सरकार की सिविल सेवा का राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति, जो उस पर लागू नियमों द्वारा शासित होता रहेगा, सम्मिलित नहीं है;

(घ) ''विहित'' से इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) ''अधिकरण'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;

(च) ''सेवा संबंधी मामले'' से किसी सरकारी कर्मचारी से सम्बधित निम्नलिखित मामलों में से कोई एक अथवा एक से अधिक मामले अभिप्रेत हैं-

(i) वरिष्ठता;

(ii) पदोन्नति;

(iii) पुष्टीकरण;

(iv) वेतन स्थिरीकरण;

(v) किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों का उसके अहित में इन्कार अथवा परिवर्तन करने वाला कोई आदेश, जो बतौर शास्ति से अन्यथा हो;

(vi) उच्च सेवा, श्रेणी अथवा पद पर स्थानापन्न होते हुये निम्न सेवा श्रेणी अथवा पद पर पदावनती वाले मामले, जो बतौर शास्ति से अन्यथा हों;

(vii) पेंशन रोकना अथवा अधिकतम पेंशन से इन्कार करना , जो बतौर शास्ति से अन्यथा हो;

(viii) कोई अन्य मामला जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायं।

3. अधिकरण का गठन तथा संरचना.- (1) सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा , जैसा वह आवश्यक समझें, एक या एक से अधिक अधिकरण समय-समय पर गठित कर सकेगी। ऐसा प्रत्येक अधिकरण राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहलाएगा।

(2) प्रत्येक अधिकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि-वेतनमान स्तर का अधिकारी अध्यक्ष होगा तथा कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होगा।

(3) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अवधी सामान्यतः तीन वर्ष की होगी तथापि राज्यपाल किसी विशेष कारणवश तीन वर्ष की कालावधि समाप्त होने से पूर्व भी अधिकरण के अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को प्रत्यावर्तित कर सकेंगे।

4. अधिकरण के कर्तव्य.-(1) राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा-विषयक मामले अथवा उसकी वैयक्तिक हैसियत को प्रभावित करने वाले पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनेगा।

(2) अधिकरण को ऐसे आदेश ,जिसके विरूद्ध अपील की गई है , को पुष्ट करने , उसमें परिवर्तन करने या उसे प्रत्यावृत करने अथवा उसके द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार नये सिरे से विनिश्चित करने के लिये मामले को प्रतिप्रेषित करने की शक्ति होगी।

[@]“**4**क.अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि अन्य उपचार निःशेष न किये गये हों.-(1) सामान्यतः अधिकरण अपील को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसका इस बात से समाधान नहीं हो जाता है कि अपीलार्थी ने शिकायत को दूर करने विषयक सुसंगत सेवा नियमों के अधीन उसे उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को शिकायतों को दूर करने विषयक सुसंगत सेवा नियमों के अधीन उसे उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग किया हुआ समझा जायेगा -

(क) यदि कोई अंतिम आदेश, ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायतों के संबंध में की गयी अपील या किये गये अभ्यावेदन को नामंजूर करते हुए , सरकार या अन्य प्राधिकारी , या ऐसे नियमों के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम समिति या अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो, या

[@] अन्तः स्थापित द्वारा अधिसूचना क्रमांक पं. 2(26)विधि/2/2005, दिनांक 24.10.2005.

(ख) जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी अपील या किये गये अभ्यावेदन के संबंध में सरकार या अन्य प्राधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम समिति या अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया हो , उस तारीख से, जिसको ऐसी अपील की गयी हो या अभ्यावेदन किया गया हो, यदि छह मास की कालावधि समाप्त हो गयी हो ।

स्पष्टीकरण.- इस धारा में अभिव्यक्ति ''शिकायतों को दूर करने विषयक सुसंगत सेवा नियमों '' से सेवा मामलों के संबंध में किन्हीं शिकायतों को इस अधिनियम के बिना दूर करने के संबंध में यथाप्रवृत्त नियम, विनियम, आदेश या अन्य लिखत या ठहराव अभिप्रेत है।''

5. <u>अधिकरण की प्रक्रिया</u>.-(1) इस निमित्त बनायें गये किसी नियम के अध्यधीन अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का, जो वह् ठीक समझे, अनुसरण करेगा।

(2) अधिकरण के समक्ष आने वाले मामलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय अधिकरण के कम से कम दो सदस्य करेंगे।

(3) अधिकरण का विनिश्चय ऐसे सदस्यों के बहुमत का विनिश्चय होगा जो उपस्थित हों और जिन्होंने मामले की सुनवाई की हो। जहां ऐसे सदस्य राय में समान रूप से बंटे हों, वहां मामला अन्य सदस्य को निदेशित किया जायेगा और ऐसे सदस्यों , जिन्होंने इसकी सुनवाई की थी , को सम्मिलित करते हुए सदस्यों की बहुसंख्या की राय द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

6. <u>अधिकरण की शक्तियां</u>.-(1) अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपील को निपटाने के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित मामलों के बारे में वही शक्तियां होगी जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5, सन् 1908) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय होती है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करने तथा उसकी हाजिरी **कराने**;

(ख) किसी दस्तावेज का पता **चलाने** तथा उसे पेश करने की अपेक्षा करने; और

(ग) साक्षियों अथवा दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करने।

(2) अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी छानबीन किये जाने वाले मामले अथवा उसके सुसंगत किसी तथ्य से अवगत होना अनुमित हो , शपथ पर परीक्षा कर सकेगा और उसकी साक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा।

(3) अधिकरण के समक्ष प्रक्रियाएं, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 45, सन् 1860) की धारा 193 के **अर्थों** में न्यायिक प्रक्रियाएं समझी जायेंगी।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 2, सन् 1974) की धारा 345 तथा 346 और न्यायालय अवमान अधिनियम , 1971 (केन्द्रीय अधिनियम 70, सन् 1971) के प्रयोजनार्थ अधिकरण को एक सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

[%]''(5) अधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर अपने स्वंय के विनिश्चय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके प्रति निर्देश से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे:

परन्तु अधिकरण अपने स्वंय के विनिश्चय या आदेश का तब तक पुनर्विलोकन नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे नये और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य का पता चला है जो सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात्, उस समय, जब ऐसा विनिश्चय या

% अन्तः स्थापित द्वारा अधिसूचना क्रमांक पं. 2(3)विधि/2/2005, दिनांक 10.03.2005.(सदैव से जोडी हुई समझी जायेंगी)

आदेश किया गया था, ऐसे पक्षकार की जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सका था या ऐसी कोई भूल या गलती रह गयी है जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती है:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा के अधीन कोई भी आवेदन ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से, जिसका पुनर्विलोकन चाहा जा रहा है, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् अधिकरण को नहीं हो सकेगा :

परन्तु यह भी कि आवेदन तीस दिन की उक्त कालावधि के पश्चात् गृहीत किया जा सकेगा यदि आवेदक अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसे समय के भीतर आवेदक फाइल न करने का पर्याप्त हेतुक था।

(6) किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय , डिक्री, आदेश या निदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 2) के प्रारम्भ के पूर्व , अधिकरण के अपने स्वंय के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने की उसकी तात्पर्यित शक्ति के अनुसरण में पारित उसके आदेश उप-धारा (5) के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से पारित किये हुए समझे जायेंगे और तदनुसार प्रभावी होंगे।''

7. अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व.- सरकार तथा प्रभावित पक्षकारों को किसी प्रतिनिधि के माध्यम से या किसी अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व किये जाने का अधिकार होगा।

8. अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा.- अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले युक्तियुक्त समय के भीतर **कार्यान्वित** किया जायेगा।

[%]''9. अपीलों के लिए परिसीमा.- (1) अधिकरण निम्नलिखित मामलों में अपीलों को ग्रहण नहीं करेगा :-

(क) ऐसे मामले में, जहां शिकायत के संबंध में धारा 4क की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में यथावर्णित ऐसा अंतिम आदेश किया गया है, यदि अपील उस तारीख से, जिसको ऐसा अंतिम आदेश किया गया है, छह मास के भीतर भीतर नहीं की गयी है:

(ख) ऐसे मामले में , जहां धारा 4क की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में यथावर्णित अपील की गयी है या अभ्यावेदन किया गया है और ऐसा अंतिम आदेश किये बिना उसके पश्चात् छह मास की कालावधि समाप्त हो गयी है , यदि अपील छह मास की उक्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर नहीं की गयी है, या

(ग) अन्य मामलों में , यदि अपील उस आदेश की तारीख से , जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, छह मास के भीतर-भीतर नहीं की गयी है।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अपील उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट परिसीमा की कालावधि के पश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर अपील नहीं करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।''

[%] प्रतिस्थापित द्वारा' अधिसूचना क्रमांक पं. 2(26)विधि/2/2005, दिनांक 24.10.2005.

10. <u>सिविल न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित करना</u>.- इस अधिनियम के अधीन उद्भूत या इसके द्वारा उपबंधित किसी मामले के विषय में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां स्वीकार्य नहीं होंगी अथवा संस्थित नहीं की जा सकेंगी।

11. <u>लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध</u> .-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को किसी सिविल न्यायालय में लंबित किसी सेवा मामले के बारे में समस्त मामलों का उस न्यायालय द्वारा सुना जाना और विनिश्चित किया जाना जारी रहेगा मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो।

12. <u>नियम बनाने की शक्ति</u> .- (1) राज्य सरकार , राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथा-शीघ्र राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष जब कि उसका सत्र चल रहा हो, कम से कम चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिये रखे जायेंगे जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और उस सत्र जिसमें उन्हें रखा गया है या उसके तुरन्त बाद वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व राज्य विधान मंडल का सदन यदि ऐसें नियमों मे से किसी में कोई उपान्तरण करता है या यह निश्चय करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाय , तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप मे ही प्रभावशील होगा या यथास्थिति, प्रभावशील नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपान्तरण या निरस्तीकरण, उस नियम के तद्धीन की गई किसी भी पूर्ववर्ती बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।